पत्र संख्या—कमिश्नर कैम्प / 2021—22 / 735 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(कमिश्नर कैम्प)

लखनऊ :: दिनांक :: 24 जून, 2021

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड—1, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड—2, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त असिस्टेण्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त सांख्यिकीय / अपर सांख्यिकीय अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

विषयः वर्ष 2021—22 हेतु वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या—7/2021 संख्या—1/3/96—का—4—2021 दिनांक 15.06.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्थानान्तरण सत्र 2021—22 हेतु शासनादेश संख्या—3/2018/1/3/96/का—4—2018 दिनांक 29.03.2018 में विहित प्राविधानों के अनुसार 15 जुलाई 2021 तक स्थानान्तरण करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

वर्ष 2021—22 की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के क्रम में स्थानान्तरण की पात्रता में आने वाले विभागीय अधिकारियों से विकल्प निम्न प्रकार आमंत्रित किये जाते हैं:—

1— उत्तर प्रदेश शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत वाणिज्य कर विभाग में समूह ''क'' एवं ''ख'' के अधिकारी अपने सेवाकाल में किसी जनपद में कुल 03 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उनको उक्त जिलों से स्थानान्तरित किया जायेगा। इसी प्रकार समूह ''क'' एवं ''ख'' के अधिकारी अपने सेवाकाल में मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें उक्त मण्डलों से स्थानान्तरित किया जायेगा। समूह ''क'' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनात नहीं किया जायेगा। समूह ''ख'' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।

2— सचल दल इकाईयों में तैनात अधिकारी (असिस्टेण्ट कमिश्नर व वाणिज्य कर अधिकारी) जिन्हें गत वर्ष माह सितम्बर एवं उसके पूर्व में स्थानान्तरित किया गया है।

3— विशेष अनुसन्धान शाखा (वि0अनु0शा0) में तैनात अधिकारी, जिनके द्वारा दिनांक 31.07.2021 को वि0अनु0शा0 में 02 वर्ष या दो स्थानान्तरण सत्र पूर्ण कर लिया हो।

4— ज्वाइण्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट / कार्पोरेट सर्किल / कार्यपालक), डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन / टीआरओ / राज्य प्रतिनिधि / टैक्स आडिट) तथा असिस्टेण्ट कमिश्नर (प्रशासन / राज्य प्रतिनिधि / टैक्स आडिट) के पद पर तैनात अधिकारी, जिनके द्वारा उक्त पद पर 03 वर्ष अथवा 03 स्थानान्तरण सत्र पूर्ण कर लिया हो।

5— उच्चतम न्यायालय कार्य, गाजियाबाद में की गई सेवा की अवधि को जिले तथा मण्डल की गणना में शामिल किया जाएगा।

6– सचल दल से सचल दल, वि0अनु0शा0 से त्रि0अनु0शा0 एवं सचल दल से वि0अनु0शा0 अथवा वि0अनु0शा0 से सचल दल में तैनाती नहीं की जाएगी।

शासन द्वारा यदि स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उक्त नीतिगत निर्देश तद्नुसार संशोधित माने जाएंगे तथा आवश्यकतानुसार अधिकारी अपना संशोधित विकल्प प्रेषित करेंगे।

हाल ही में पदोन्नत स्थानान्तरणाधीन सभी अधिकारियों द्वारा भी अपने विकल्प प्रस्तुत किये जायेंगे। प्राप्त विकल्पों पर यथासम्भव ही विचार किया जायेगा तथा इससे किसी कार्मिक का किसी पद/स्थान पर स्थानान्तरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। स्थानान्तरण विकल्प केवल ऑन लाइन माध्यम से ही विभागीय वेबसाइट http://comtax.up.nic.in में Departmental Services के अन्तर्गत उपलब्ध EMPLOYEES INFORMATION SYSTEM पर अंकित कर दिये जा सकेंगे। विकल्प भरने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.06.2021 नियत की जाती है।

24/6/2021

(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. विशेष सचिव, राज्य कर, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. अपर निदेशक (प्रशिक्षण), वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
03. निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
04. ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि अविलम्ब अधिकारियों के ई0आई0एस0 मॉड्यूल के माध्यम से ऑन लाइन विकल्प प्रस्तुत करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
05. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए, स्थापना राजपत्रित अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

24.6.21

(शिशिर प्रकाश)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (स्था0राज0)
वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।